भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1238

उत्तर देने की तारीख 08 दिसंबर, 2025

सोमवार, 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

अंतर्राष्ट्रीय कौशल और विदेशों में रोजगार

1238. श्री पी. सी. मोहन:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, आतिथ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और हरित प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए भारतीय छात्रों और युवाओं को कौशल प्रदान करने और प्रमाण पत्र देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कौशल प्रमाणनों की मान्यता के लिए विदेशी सरकारों या संस्थानों के साथ हुए द्विपक्षीय या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्किल इंडिया इंटरनेशनल जैसी योजनाओं के तहत छात्रों को विदेशों में नियुक्तियों के लिए तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों में राज्यवार विशेषकर कर्नाटक में प्रशिक्षित और विदेश भेजे गए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है; और

(ड.) क्या सरकार का विचार बेंगलुरु सहित कर्नाटक में इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र या प्रशिक्षण हब स्थापित करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): महोदय, सरकार स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, आतिथ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए भारतीय छात्रों और युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। इन क्षेत्रों में गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं, जिनमें विभिन्न गंतव्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर करना, प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौतें, श्रम गतिशीलता और कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में सहयोग ढाँचे शामिल है।

इटली और जर्मनी के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी समझौतों में योग्यताओं और प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने आठ देशों-ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कतर, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात-के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो तकनीकी आदान-प्रदान, सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम, योग्यताओं के मानकीकरण, पारस्परिक मान्यता और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाते हैं। एमएसडीई ने स्वास्थ्य सेवा और निर्माण क्षेत्रों में गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए इज़राइल के साथ दो प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) से (ङ): जी हां, एमएसडीई - विदेश मंत्रालय (एमईए) के सहयोग से प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत - संभावित प्रवासियों के लिए एक दिवसीय प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी) आयोजित करता है ताकि उन्हें गंतव्य देश की भाषा, सांस्कृतिक जागरूकता, उत्प्रवास प्रक्रियाओं, कल्याण प्रावधानों और क्या करें और क्या न करें के बारे में जानकारी दी जा सके।

एमएसडीई जापान के साथ तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी) जैसे कार्यक्रम को भी क्रियान्वित कर रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवा और आतिथ्य सहित अन्य क्षेत्रों में गतिशीलता को सुगम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, जर्मनी के साथ भारत-जर्मन हरित कौशल कार्यक्रम (आईजीजीएसपी) का उद्देश्य युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हरित प्रौद्योगिकियों का कौशल प्रदान करना और उन्हें प्रमाण पत्र देना है।

वित्त वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के अनुरूप, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों (एसआईआईसी) की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में, दो एसआईआईसी चालू हो चुके हैं - एक वाराणसी में और दूसरा कौशल विकास संस्थान (एसडीआई), भुवनेश्वर में। बेंगलुरु/कर्नाटक के उम्मीदवारों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए एनएसटीआई बेंगलुरु में एसआईआईसी की स्थापना की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित और विदेश में नियुक्त उम्मीदवारों का राज्य-वार ब्यौरा, जिनमें कर्नाटक के उम्मीदवार भी शामिल हैं, **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

दिनांक 08.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1238 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार तैनाती

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**कुल**
अंडमान और निकोबार	1	0	0	1
आंध्र प्रदेश	241	36	67	344
अरुणाचल प्रदेश	2	5	15	22
असम	28	9	2	39
बिहार	5470	148	217	5835
चंडीगढ़	0	4	0	4
छत्तीसगढ	12	2	3	17
दादरा और नगर हवेली	1	1	0	2
दमन और दीव	0	1	0	1
दिल्ली	130	41	13	184
गोवा	15	3	0	18
गुजरात	389	17	3	409
हरियाणा	52	14	206	272
हिमाचल प्रदेश	34	5	16	55
जम्मू और कश्मीर	125	2	2	129
झारखंड	262	25	9	296
कर्नाटक	**797**	**390**	**363**	**1550**
केरल	1365	865	139	2369
मध्य प्रदेश	61	13	12	86
महाराष्ट्र	833	86	22	941
मणिपुर	22	10	35	67
मेघालय	2	0	2	4
मिजोरम	1	7	25	33
नागालैंड	13	31	45	89
ओडिशा	427	43	4	474
पुदुचेरी	12	6	1	19
पंजाब	694	48	25	767
राजस्थान	2611	58	66	2735
सिक्किम	2	1	3	6
तमिलनाडु	784	224	82	1090
तेलंगाना	904	24	480	1408
त्रिपुरा	12	2	1	15
उत्तर प्रदेश	3947	326	5766	10039
उत्तराखंड	110	12	28	150
पश्चिम बंगाल	3139	159	88	3386
ब्यौरा उपलब्ध नहीं है	289	0	0	289
योग	**22787**	**2618**	**7740**	**33145**

*****